

मैं० डी के डी माइन्स द्वारा भाटनीकोट सोप स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट ग्राम— भाटनीकोट तहसील— जनपद— बागेश्वर, उत्तराखण्ड के पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 08.05.2023 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मैं० डी के डी माइन्स द्वारा भाटनीकोट सोप स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट ग्राम— भाटनीकोट तहसील— जनपद— बागेश्वर उत्तराखण्ड, सोप स्टोन माइनिंग प्रोडक्ट (5.657 हेक्टेयर क्षेत्रफल) में खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना—2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण तथा टाइम्स ऑफ इंडिया के दिनों 28.03.2023 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से संबंधित ई०आई०ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतिया जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तदक्रम में जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनों 08.05.2023 को प्रातः 11:00 बजे परियोजना स्थल पंचायत भवन भाटनीकोट में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है। लोक सुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के हरीश चन्द्र जोशी सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष जिलाधिकारी बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया तथा परियोजना के संबंध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदया से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

जिलाधिकारी बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तदक्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था मैसर्स कार्नीजेन्स रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के श्री अखिल कुमार द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत किया गया। विवरण प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रस्तावित परियोजना एक सोप स्टोन खनन परियोजना है, परियोजना का खनन स्थल ग्राम—भाटीकोट, तहसील व जिला—बागेश्वर में स्थित है। खनन कार्य ओपन कास्ट रोमी मेकेनाइट विधि द्वारा किया जायेगा। परियोजना स्थल तथा परिक्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण, भूगर्भीय जल मूदा तथा ध्वनि रतार का अनुश्रवण कर नगूने एकत्रण किये गये हैं। विश्लेषण आख्याये परिवेशीय वायु गुणवत्ता राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता गानकों के भीतर हैं तथा गू जल नमूने की गुणवत्ता भारतीय गानक IS:10500 द्वारा निर्धारित सीमा के अनुरूप हैं। प्रस्तावित परियोजना पर्यावरण ध्वनि का स्तर दिन और रात के रागय हेतु निर्धारित सीमा में है। खनन क्षेत्र में कोई विस्थापन शामिल नहीं है, क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। प्रस्तावित खदान स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करेगी, पर्यावरण प्रबंधन योजना के अन्तर्गत विभिन्न मर्दों यथा दुलाई सड़क की मरम्मत और रखरखाव, धूल नियंत्रण, पानी का छिड़काव, जल/वायु, ध्वनि स्तर अनुश्रवण, वृक्षारोपण तथा देखभाल व सीईआर मर्दों में धन राशि आवंटन के संबंध में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि प्रस्तावित खनन कार्य निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जायेगा। परियोजना क्षेत्र में महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगी तथा प्रस्तावित परियोजना पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव डाले बिंगा आगे बढ़ सकती है।

संगत

संगत

जिलाधिकारी महोदया द्वारा यह जानना चाहा कि पर्यावरण प्रबंधन योजना में विभिन्न मदों में धनराशि निर्धारित करने का आधार क्या है, जिसके संबंध में परियोजना सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित सी0ई0आर0 मदों में परियोजना लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं में परियोजना लागत के आधार पर ही सी0ई0आर0 मद में धनराशि का आवंटन किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा सङ्क निर्माण व रखरखाव हेतु खनन कार्य आरम्भ करने से पूर्व धनराशि की आवश्यकता तथा प्रस्तावित वृक्षारोपण में वृक्षों का मूल्य पुनः निर्धारण करने तथा अतिरिक्त धनराशि सी0ई0आर0 मद में रखने का विचार करने को कहा गया। जिसके संबंध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना में संशोधन करने हेतु सहमति व्यक्त की गयी है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित समुदाय से उनके सुझाव आपत्तिया एवं टीका टिप्पणी आमंत्रित की गई तथा अवगत कराया गया कि सुझाव आपत्तिया टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। उपस्थिति जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत टीका टिप्पणी व सुझाव का विवरण निम्नवत है।

1. श्री माधव सिंह खेतवाल — ग्राम तुपेड़, जिला—बागेश्वर:- श्री खेतवाल द्वारा कहा गया कि खनन कार्य होना चाहिए, सब का साथ और सब का विकास होना चाहिए, जिनकी माईन है हम उनके साथ है और अनुरोध किया गया कि शविष्य में अच्छा काम सब लोगों के साथ मिलकर करना चाहिए और सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया गया।
2. श्री दिवान सिंह खेतवाल, ग्राम- भाटनीकोट, जिला—बागेश्वर— श्री खेतवाल द्वारा जिलाधिकारी का स्वागत करते हुए कहा गया कि सबसे पहले क्षेत्र में सङ्क बननी चाहिए तथा उसका प्रस्ताव होना चाहिये, ग्राम—भाटनीकोट की जनता को रोजगार मिलना चाहिए और कहा कि यही मेरे दो बिन्दु हैं। जिलाधिकारी महोदया द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं को व्यवहारिक बताते हुए परियोजना सलाहकार को उपरोक्त बिन्दुओं को आवश्यक समावेश करने को कहा गया।
3. श्रीमती रावित्री खेतवाल ग्राम- भाटनीकोट, जिला- बागेश्वर— श्रीमती रावित्री खेतवाल द्वारा जन सुनवाई के दौरान कहा गया कि हम लोग महिला किसान हैं तथा खेती से जीवन यापन करते हैं हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, जो माईन लग रही है हम लोग उस में खेती करते हैं हमें माईन के बाद खेत बनाकर देना चाहिये तथा हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। खाली जगह पर पेड़ लगाने चाहिये। तदक्रम में जिलाधिकारी महोदया द्वारा परियोजना प्रस्तावक को बेरोजगारों के संबंध में एक सूची तैयार करने तथा इसका विवरण रखे जाने हेतु कहा गया। स्थानीय लोगों कि इच्छा के अनुरूप ही खनन कार्य किया जाना चाहिये। वृक्षारोपण का कार्य स्थानीय महिला समूह के माध्यम से किया जाना चाहिये।
4. श्री हरीश रिंह खेतवाल ग्राम— तुपेड़, जगपद—बागेश्वर— श्री खेतवाल द्वारा जन सुनवाई में जिलाधिकारी महोदय का रखागत करते हुये सभी उपस्थित लोगों का अभिनंदन किया गया और कहा गया कि खनन की व्यवस्था को आपके दिशा निर्देश के अनुसार किया जायेगा तौ वह बेहतर होगा तथा आशा व्यक्ति की


47


हमारे ग्रम पंचायत में प्रस्तावित खनन परियोजना से बेरोजगार लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देना चाहिये और कहा कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा है, विकित्सा स्वास्थ, शिक्षा के सुधार कि आवश्यकता है, जिससे बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। तदकम में प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र के संबंध में उपस्थित लोगों ने अवगत कराया प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र बागेश्वर में स्थित है तथा स्थानीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र की आवश्यकता बतायी गयी।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुनः उपस्थित लोगों से प्रस्तावित परियोजना कि आपत्ति के संबंध में जानना चाहा। काई आपत्ति प्राप्त न होने पर परियोजना प्रस्तावक से अपेक्षा कि गयी कि नियमों तथा शर्तों के अन्तर्गत ही खनन कार्य किया जाना चाहिये। सोलर लाईट गांव वालों कि आपसी सहमति तथा आवश्यकतानुसार लगाई जानी चाहिये। परियोजना प्रस्तावक तथा स्थानीय लोगों के आपसी सहयोग से खनन कार्य किये जाने को कहा गया।

अन्य सुझाव/आपत्ति व टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त न होने पर उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की विडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

  
(हरीश चंद्र जोशी)  
सहायज्ञाओं अधिकारी  
उप्रोनिंबोर्ड हल्द्वानी।

  
(अनुराधा पाल)  
जिलाधिकारी  
बागेश्वर।